



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा” 2.0

दिनांक- 10.12.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 95 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 08 लाख रुपये) व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” 2.0 – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है। व शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.12.2025 को गस्त के दौरान थाना चिलकाना पुलिस टीम उ०नि० श्री हरेन्द्र कुमार मय हमराही कर्म०गण द्वारा चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त उस्मान पुत्र इरफान नि० ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को पटनी से पहले स्थित पेट्रोल पम्प से कालू माजरा जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 95 ग्राम अवैध व तस्करी में प्रयुक्त स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल (HR-54 B-5390) बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु०अ०स० 354/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. उस्मान पुत्र इरफान नि० ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी:-

- 95 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 08 लाख रुपये)
- 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल तस्करी में प्रयुक्त (HR-54 B-5390)

गिरफ्तार अभियुक्त उस्मान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 113/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 171/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना स0पुर
3. मु0अ0सं0 64/23 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर
4. मु0अ0सं0 134/23 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चिलकाना स0पुर
5. मु0अ0सं0 256/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. का0 2351 लवलेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मात्र 29 घण्टे में मोटर साइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 08.12.25 को वादी श्री अशोक पुत्र लाल्ला नि० दल्हेडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर की तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा मेडिग्राम अस्तपताल के बाहर से वादी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस हीरो कम्पनी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु०अ०सं० 604/2025 धारा 303(2) BNS के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व वाहन की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वाहन चोर/अभियुक्तगण 1. निखिल कुमार पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम घसौती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व 2. आशीष कुमार पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम घसौती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को ग्राम घसौती से पहले रजवाहे वाले रास्ते पर ग्राम घसौती के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि०गण के कब्जे से चोरी गई 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस हीरो कम्पनी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. निखिल कुमार पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम घसौती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. आशीष कुमार पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम घसौती थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चोरी गयी मोटरसाइकिल UP11AU0114

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री अरुण कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर
4. है०का० 817 मोहित राणा थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर
5. है० का० 158 अमित कुमार थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर



दिनांक- 10.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में दिनांक 09.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 शातिर अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम कबीरपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर व 2. सागर पुत्र स्व0 नरेश कश्यप निवासी ग्राम बरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर को कलसिया पुल के पास से जाने वाली रोड किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक-एक अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 625/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. गौरव पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम कबीरपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. सागर पुत्र स्व0 नरेश कश्यप निवासी ग्राम बरौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 02 अवैध चाकू बरामद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव-

1. मु0अ0सं0- 625/25 धारा- 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 461/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 286/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बच्चू सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 734 सतेन्द्र थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 10/12/2025

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 03/07/2025 को वादी मुस्तकीम पुत्र रफीक मौ० कुरेशियान कस्बा गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 01. जावेद पुत्र कामिल 02. गय्यूर पुत्र कामिल 03. अय्यूब पुत्र कामिल 4. वसीम पुत्र कमिल 05. सुहैल पुत्र मुस्तफा 06. शारुख पुत्र मुस्तफा व 07. बाबर पुत्र मुस्तफा निवासीगण मौ० कुरेशियान कस्बा गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिवारजनो के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने व जानलेवा हमला करने की सूचना पर थाना गंगोह पर मु०अ०स० 235/25 धारा 191(2),115(2),352,351 (2),333 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 117(2)109(1) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथा व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त सुहैल उर्फ समीर पुत्र मुस्तफा नि० मौ० कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को मौहल्ला कुरेशियान कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुहैल उर्फ समीर पुत्र मुस्तफा नि० मौ० कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अतुल कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
2. हे०का० 1013 राहुल कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
3. म०हे०का० 883 कोमल शर्मा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का० 326 रिकू थाना गंगोह जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 10.12.2025

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 09.12.2025 को वादी जमील खां पुत्र युसुफ खाँ नि० छापडा कालोनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर पर अभि० सलीम उर्फ मेहरुदीन पुत्र असलम, निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०स० 729/25 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मुकदमें में **01 वांछित अभियुक्त सलीम उर्फ मेहरुदीन पुत्र असलम, निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को **जनमंच के पास पुराने गंगोह बस स्टैंड से घन्टाघर की ओर जाने वाले रास्ते** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सलीम उर्फ मेहरुदीन पुत्र असलम, निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण: -

घटना में प्रयुक्त कैंची

आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०स० 46/17 धारा 8/21/27 एनडीपीएस एक्ट थाना को० नगर जनपद सहारनपुर।
2. मु०अ०स० 389/17 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. मु०अ०स० 187/18 धारा 414 भादवि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।
4. मु०अ०स० 31/19 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना को०नगर जनपद सहारनपुर।
5. मु०अ०स० 121/19 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना को०नगर जनपद सहारनपुर।
6. मु०अ०स० 601/19 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. मु०अ०स० 385/22 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
8. मु०अ०स० 20/23 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना को०नगर जनपद सहारनपुर।
9. मु०अ०स० 126/23 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।
10. मु०अ०स० 183/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।

11. मु0अ0स0 192/23 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 निर्भय सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. उ0न0 देवीचरण सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 565 विजय थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 869 सुमित तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक 10.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मारपीट कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 29.11.25 को वादी श्री प्रतीक त्यागी पुत्र आलोक त्यागी निवासी ग्राम फिराहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. आरव, 2. मिलन, 3. जोएब व 4. प्रिन्स आदि द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 373/25/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **01 वांछित अभियुक्त मिलन पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम बुढडाखेडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को पुराने पुल से आगे माजरी रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(1) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा तमंचा/कारतूस की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 390/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त मिलन उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगो की प्रतीक के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी, तो दिनांक 29.11.25 को मैं व मेरे सभी साथियो आरव, प्रिन्स, जोएब उपरोक्त ने प्रतीक को नागल अहीर चौराहे से जबरदस्ती बाईक पर बैठा लिया और फिर बुढखेडा अहीर के जंगल में ले जाकर मापीट की थी और मारपीट करते हुये फोन से उसकी वीडिओ भी बनाई थी और जान से मारने की धमकी भी दी, मारपीट करते समय लोगो को आता देख हम लोग भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मिलन पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम बुढडाखेडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 राकेश शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री उ0नि0 देवकरण शर्मा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. है0का0 38 सुरेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 10.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त किल्लू पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या- 15/12, मु0अ0स0 717/11 धारा 135(2) विद्युत अधिनियम में ग्राम दूधली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

किल्लू पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम दूधली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है0का0 513 सोहनवीर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. का0 2208 रोहित थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 10.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैंकिंग व गश्त के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त रोकी पुत्र कल्याण उर्फ कल्लू सिंह नि0 ग्राम गोपाली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या-2344/16, मु0अ0स0 416/15 धारा 323/325/506 भादवि को ग्राम गोपाली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोकी पुत्र कल्याण उर्फ कल्लू सिंह निवासी ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुन्दर सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है0का0 1082 योगेश थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 10.12.2025

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा **चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**, कब्जे/निशानदेही पर चोरी किये गये आभूषण (02 बड़े कंगन पीली धातू, 03 चूड़ी पीली धातू, 01 जोड़ी झुमके सफेद धातू, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातू, 13 सांप नुमा सफेद धातू, 06 सिक्के तांबे के), घर का अन्य सामान व **01 चाकू बरामद**

घटना का विवरण:-

दिनांक 09.12.2025 को वादी श्री सन्दीप पुत्र कृष्णपाल मौ० बंजारा नकट बिजली घर कस्बा व थाना नकुड़, स०पुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 578/25 धारा 305(क) भा०न्या०सं० बाबत अभियुक्तगण 1.अजीम पुत्र रशीद व 2. शाहिद पुत्र जाबिर नि०गण मौ० बंजारा नकट नकुड़ स०पुर द्वारा वादी के घर से सोने चांदी के जेवरात व अन्य घर का सामान चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त शाहिद पुत्र जाबिर नि०गण मौ० बंजारा नकट व थाना नकुड़, सहारनपुर** को नयागांव से नकुड़ रोड पर बंद पड़े पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त से चोरी गये सफेद/पीली धातु के आभूषण (02 बड़े कंगन पीली धातू, 03 चूड़ी पीली धातू, 01 जोड़ी झुमके सफेद धातू, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातू, 13 सांप नुमा सफेद धातू, 06 सिक्के तांबे के), एक अदद मोबाईल फोन, एक बिजली की इन्डक्शन, दो घी के प्लास्टिक के डिब्बे व एक चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शाहिद पुत्र जाबिर निवासी मौहल्ला बंजारा नकट व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- सफेद/पीली धातु के चोरी गये आभूषण (02 बड़े कंगन पीली धातू, 03 चूड़ी पीली धातू, 01 जोड़ी झुमके सफेद धातू, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातू, 13 सांप नुमा सफेद धातू, 06 सिक्के तांबे के)
- 01 अदद मोबाइल फोन
- 01 बिजली की इन्डक्शन
- 02 घी के प्लास्टिक का डिब्बा
- 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ०नि० शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. है०का० 320 तरुण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. है०का० 1021 मतीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **02 वारण्टी अभियुक्तगण** 1. अदनान पुत्र महबूब निवासी ग्राम रोगला हथौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 2257/22 मु0अ0स0 294/2000 धारा 216ए भादवि चलानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर में व 2. उमेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1165/22 धारा 125(3)सीआरपीसी व वाद संख्या 1212/2024 धारा 125(3) सीआरपीसी में थाना बेहट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अदनान पुत्र महबूब निवासी ग्राम रोगला हथौली थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उमेश कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम कादरपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 2329 अनिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 2217 दीपक सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक 10-12-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 22.07.2003 को वादी निरीक्षक श्री यशवीर सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की मौखिक सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. सरफराज पुत्र बुल्ला अंसारी नि० मौ० अशरफ अली थाना गंगोह, 2. शहजाद उर्फ जगीरा पुत्र शकील नि० मौ० ढोली खाल सिराजान थाना कु०शेर हाल पता मौ० अशरफ अली थाना गंगोह व 3. अहसान पुत्र अब्दुल हक नि० मौ० जनकटा कस्बा व थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सुसंगठित गैंग बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर भादवि के अध्याय 17 में वर्णित धाराओं से सम्बन्धित अपराध कर धन अर्जित करने की सूचना पर मु०अ०स०-301/2003 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं०-70/04 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को अभियुक्त सरफराज पुत्र बुल्ला अंसारी निवासी मौ० अशरफ अली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को मु०अ०स०-301/2003 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:-अभियुक्तगण 1.शहजाद उर्फ जगीरा पुत्र शकील नि० मौ० ढोली खाल सिराजान थाना कुतुबशेर, सहारनपुर हाल पता मौ० अशरफ अली थाना गंगोह की फाइल पूर्व में पृथक होकर निस्तारित हो चुकी है व 2. अहसान पुत्र अब्दुल हक नि० मौ० जनकटा कस्बा व थाना जानसठ जनपद मु०नगर की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री मेघराज सिंह चौहान
विवेचक -उ०नि० श्री ऋषिपाल सिंह
पैरोकार -है०का० रवि अन्तल थाना गंगोह सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम)-3 जनपद सहारनपुर द्वारा लूट के प्रयास के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 18.11.1997 को वादी अलीहसन पुत्र मौ0 आसिफ निवासी समसपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तग 1.गौतम पुत्र चंदन नि0 मानकपुर आदमपुर थाना झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा ट्रैक्टर लूटना एवं फायर करना जिसमें वादी के पुत्र का घायल हो जाने की सूचना पर मु0अ0स0-240/1997 धारा 324,393 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-297/2024 पर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम-3) जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम-3) जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को अभियुक्त गौतम पुत्र चंदन निवासी मानकपुर आदमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को मु0अ0स0-240/1997 धारा 324,393 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती निशा गुप्ता

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री त्रिलोकचंद

पैरोकार-हे0का0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम)-3 जनपद सहारनपुर द्वारा लूट की घटना के मुकदमें में अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.10.1997 को वादी श्री रणपाल सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तग 1.गौतम पुत्र चंदन नि0 मानकपुर आदमपुर थाना झबरेडा हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा वादी के साथ मारपीट कर मोटरसाईकिल छीनकर ले जाने की सूचना पर मु0अ0स0-264/1997 धारा 394,411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-296/2024 पर माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम-3) जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसीजेएम-3) जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को अभियुक्त गौतम पुत्र चंदन निवासी मानकपुर आदमपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को मु0अ0स0-264/1997 धारा 394,411 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती निशा गुप्ता

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री आर0एस0 सोलंकी

पैरोकार-हे0का0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना फतेहपुर में “मिशन शक्ति फेज-5.0” के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं साइबर जागरूकता अभियान

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला बीट, कस्बा छुटमलपुर, पंजाबी मार्केट छुटमलपुर, सब्जी मंडी छुटमलपुर, रुड़की रोड, देहरादून रोड, सर्राफा बाजार छुटमलपुर, झण्डा तिराहा, ज्योति किरण तिराहा, फतेहपुर, भादो मुस्लिम कॉलोनी एवं पंजाबी मार्केट सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जागरूक किया गया।

साथ ही महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं —

- विधवा पेंशन योजना
- सुमंगला योजना
- बाल कल्याण योजनाएं
- बाल मजदूरी न कराने हेतु जागरूकता

□ गुड टच व बैड टच की जानकारी

के विषय में भी अवगत कराया गया।

साइबर अपराधों से बचाव हेतु महिलाओं व बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल (Fraud Call), अनचाहे लिंक एवं ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रहने के उपाय भी बताए गए।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं और उन्हें त्वरित सहायता हेतु संबंधित माध्यमों से जोड़ने का प्रयास किया गया।



दिनांक: 10.12.2025

□ थाना नानौता में “साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति फेज-5.0” के अंतर्गत विशेष अभियान

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना नानौता के कस्बा ननौता क्षेत्र में, थाना नानौता की एंटी रोमियो टीम द्वारा बाजार, स्कूल, बैंक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं को साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, डिजिटल ठगी एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी अवगत कराया गया—

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

112 – पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं एवं मौके पर ही यथासंभव निस्तारण किया गया। साथ ही जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए। अभियान के दौरान बाजार, स्कूल व अन्य स्थानों पर घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई।

□ जनपद सहारनपुर पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जन-जागरूकता के माध्यम से ही सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना नकुड़ में “मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह” के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम का विशेष जागरूकता अभियान

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत एंटी रोमियो टीम की महिला उपनिरीक्षक अर्चना एवं महिला कांस्टेबल चंचल चौहान द्वारा कस्बा नकुड़ के जनक बाजार, बस स्टैंड एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं पूछी गईं।

इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं —

- विधवा पेंशन योजना
 - सुमंगला योजना
 - बाल कल्याण योजनाएं
 - बाल मजदूरी न कराने हेतु जागरूकता
 - गुड टच व बैड टच की जानकारी
- के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल (Fraud Call), अनचाहे लिंक एवं अन्य साइबर अपराधों से बचाव के विषय में भी जागरूक किया गया।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी सुनी गईं तथा कस्बे के विभिन्न विद्यालयों पर भ्रमणशील रहकर चेकिंग की गई, जिससे छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना बड़गांव में “साइबर जागरूकता एवं मिशन शक्ति” के अंतर्गत विशेष अभियान

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग से जुड़े साइबर अपराध, साइबर फ्रॉड से बचाव, सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के विषय में भी जागरूक किया गया।

महिलाओं को नए कानूनों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई तथा सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में अवगत कराया गया—

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया, महिलाओं व बालिकाओं को पम्पलेट वितरित किए गए, तथा उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

□ जनपद सहारनपुर पुलिस का संदेश है कि महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जन-जागरूकता ही सुरक्षित समाज की कुंजी है।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना तितरों में “साइबर जागरूकता एवं मिशन शक्ति फेज-5.0” के अंतर्गत विशेष अभियान

एंटी रोमियो टीम द्वारा छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा व सशक्तिकरण का संदेश

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना तितरों जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम द्वारा खानपुर तिराहा व गंगोह रोड पर आने-जाने वाली बालिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया।

इस अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी, झूठी अफवाहों से बचाव, साइबर फ्रॉड और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के उपाय विस्तार से बताए गए। साथ ही महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई।

महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण से सम्बन्धित आवश्यक जानकारियाँ दी गईं और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर लाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया, पम्पलेट वितरित किए गए, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा लड़कों को सख्त हिदायत दी गई कि महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।*

□ जनपद सहारनपुर पुलिस महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जनसहयोग के माध्यम से सुरक्षित समाज के निर्माण हेतु सतत प्रतिबद्ध है।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना बेहट में “मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान” के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना बेहट क्षेत्र में उपनिरीक्षक मनोरमा चौधरी, महिला कांस्टेबल मनीषा चौहान, महिला कांस्टेबल रुबी एवं महिला हेड कांस्टेबल ललिता द्वारा कस्बा बेहट में महिलाओं व बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु संचालित विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया।

इस अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को —

□ डिजिटल अरेस्टिंग से सम्बन्धित साइबर ठगी

□ महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन

□ सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं

□ बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम

□ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण

के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा जगह-जगह बिना वजह खड़े लड़कों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया। साथ ही बैंकों की चेकिंग की गई एवं मुआयना रिपोर्ट तैयार की गई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

□ जनपद सहारनपुर पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जन-जागरूकता के माध्यम से ही सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव है।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना रामपुर मनिहारान में “मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान” के अंतर्गत विशेष अभियान

आज दिनांक 10/12/2025 को एंटी रोमियो टीम द्वारा सीएचसी रामपुर, दिल्ली रोड, बस अड्डा कस्बा रामपुर मनिहारान, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, इस्लामनगर रोड, रेलवे स्टेशन रामपुर मनिहारान, संजय चौक, शहरी पुलिया, बड़गांव रोड, घसौती रोड आदि स्थानों पर आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूक किया गया।

इस अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को —

□ डिजिटल अरेस्टिंग से सम्बंधित साइबर ठगी

□ महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन

□ सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं

□ बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम

□ महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण

के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।

साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपाय भी बताए गए।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा महिलाओं को निर्भीक होकर अपनी समस्याएं साझा करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

□ जनपद सहारनपुर पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जन-जागरूकता के माध्यम से ही सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव है।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-



□ थाना चिलकाना में “मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान” के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना चिलकाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल चांदनी एवं महिला कांस्टेबल मनिता द्वारा कस्बा चिलकाना एवं प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया।

इस अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग से संबंधित उगी, महिला सशक्तिकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा बच्चों के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में भी विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। महिलाओं व बालिकाओं को साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय भी बताए गए।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा जगह-जगह बिना वजह खड़े लड़कों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया, जिससे क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

□ जनपद सहारनपुर पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जन-जागरूकता के माध्यम से ही सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव है।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना नागल में “मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह” के अंतर्गत महिला जागरूकता अभियान

दिनांक 10/12/2025 को थाना नागल जनपद सहारनपुर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम की महिला हेड कांस्टेबल संगीता यादव एवं महिला कांस्टेबल ज्योति द्वारा कस्बा नागल के बाजार एवं रेलवे रोड बस अड्डा क्षेत्र में आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं पूछी गईं।

इस अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से—

विधवा पेंशन योजना

सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएं

बाल मजदूरी न कराने हेतु जागरूकता

गुड टच एवं बैड टच की जानकारी

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल (Fraud Call), अनचाहे लिंक तथा अन्य साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में भी जागरूक किया गया।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं, उन्हें जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए, तथा किसी भी आपात स्थिति में निडर होकर पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना बिहारीगढ़ में “मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान” के अंतर्गत महिला चौपाल एवं जागरूकता कार्यक्रम

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम द्वारा स्कूलों, बैंकों, बाजारों एवं ग्राम क्षेत्रों में महिला चौपाल का आयोजन कर महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया।

इस अवसर पर उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह, महिला आरक्षी अंजू एवं होमगार्ड संदीप द्वारा महिलाओं की समस्याएं पूछी गईं तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से—

विधवा पेंशन योजना

सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएं

बाल मजदूरी न कराने हेतु जागरूकता

गुड टच व बैड टच की जानकारी

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल (Fraud Call), अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने एवं अन्य साइबर अपराधों से बचाव के विषय में भी जागरूक किया गया।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर उनसे पूछताछ की गई तथा उन्हें आवश्यक हिदायत दी गई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।



दिनांक: 10.12.2025

-प्रेस नोट-

□ थाना कोतवाली नगर में “मिशन शक्ति फेज-5.0” के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर जागरूकता अभियान

आज दिनांक 10/12/2025 को थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को —

डिजिटल अरेस्टिंग

झूठी अफवाहों से बचाव

साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से सुरक्षा

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं

बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रमों

महिलाओं व बालिकाओं के अधिकार, सुरक्षा एवं संरक्षण

के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।

साथ ही सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए नवाबगंज व सराय चौक पर महिलाओं एवं बालिकाओं की चौपाल लगाकर उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई—

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:

1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एंबुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

अभियान के दौरान महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गई, उन्हें जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए तथा त्वरित सहायता के लिए पुलिस से निर्भीक होकर संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया।

□ जनपद सहारनपुर पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं जन-जागरूकता ही सुरक्षित समाज की आधारशिला है।